

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/

भोपाल, दिनांक / /2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला- बडवानी, म0प्र0


विषय:- डॉ0 अनुराधा मालवीया, चिकित्सा अधिकारी, को कार्य पर उपस्थित कराये की अनुमति प्रदान करने बावत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/स्था/2018/443 दिनांक 15.01.2018

000-000

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें डॉ0 अनुराधा मालवीया, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सेंधवा, जिला बडवानी को बालचर्या अवकाश का उपभोग करने के उपरांत कार्य पर उपस्थित कराने की अनुमति प्रदान करने लेख किया गया है।

अतः नियमानुसार डॉ0 अनुराधा मालवीया, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सेंधवा, जिला बडवानी को कार्य पर उपस्थित कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि " मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, दिनांक 27 अगस्त 2015 की कंडिका 4 (ख) अनुसार कार्यवाही की जावे। बालचर्या अवकाश की पृविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाये।



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/72

भोपाल, दिनांक 16/1/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर, म0प्र0
02. कोषालय अधिकारी, जिला बडवानी, म.प्र.
03. डॉ0 अनुराधा मालवीया, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सेंधवा, जिला बडवानी की ओर पालनार्थ।
04. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।



अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /


भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

डॉ० रचना दुबे, मेडिकल आफिसर, हुकुमचंद हास्पिटल, जिला इन्दौर द्वारा कटक, उड़ीसा में दिनांक 17 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य आयोजित होने वाले All India Congress of Obstetrics & Gynaecology, 2018 के सम्मेलन में भाग लिये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस हेतु इनके द्वारा अपना पंजीयन करा लिया है।

अतः डॉ० रचना दुबे, मेडिकल आफिसर, हुकुमचंद हास्पिटल, जिला इन्दौर द्वारा कटक, उड़ीसा में दिनांक 17 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य आयोजित होने वाले All India Congress of Obstetrics & Gynaecology, 2018 के सम्मेलन में भाग लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ०क्र० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 50

भोपाल, दिनांक 10 / 1 / 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।
03. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश।
04. डॉ० रचना दुबे, मेडिकल आफिसर, हुकुमचंद हास्पिटल, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
05. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्था.कार्यालय।
06. प्रमारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।



अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
सतपुडा-भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/

भोपाल,दिनांक /01/2018

-:: आदेश ::-

बंधपत्र के अनुक्रम में संचालनालय के आदेश क्रमांक-जी/ विज्ञप्त/ सेल-संविदा/17/ 4045 भोपाल, दिनांक 02/07/2017 द्वारा डॉ. तानिया सिंह, की पदस्थापना जिला चिकित्सालय रायसेन (सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के विकल्प पर) की गई है, को बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने हेतु पूर्व पदस्थापना स्थान जिला चिकित्सालय रायसेन में उपस्थिति की अनुमति दी जाती है।

सेवा शर्तें यथावत रहेंगी ।

//
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक ९/01/2018

पृ0क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/4/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
- 2 मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बैंक ऑफ इण्डिया भोपाल ।
- 3 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म0प्र0 ।
- 4 कलेक्टर जिला रायसेन म0प्र0 ।
- 5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन म0प्र0 ।
- 6 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, रायसेन म0प्र0 ।
- 7 प्रमारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
- 8 संबधित बंधपत्र स्नातक चिकित्सको,की ओर पालनार्थ ।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /01/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - सीनियर रेसीडेन्ट पद हेतु अनापत्ति बाबत।

कृपया निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों, को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थानों पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अनुमति चाही गई है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	पदस्थापना स्थान	अनापत्ति विवरण
1	डॉ. पंकज कुमार जैन (मेडिसिन)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीकनगांव, खरगौन	चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, सागर एवं खण्डवा में सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अनापत्ति

डॉ. पंकज कुमार जैन, द्वारा सेवारत अभ्यर्थी के रूप में वर्ष 2014 में प्रवेशित एवं वर्ष 2017 में एम.डी. मेडिसिन पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। प्री.पी.जी. प्रवेश नियम 2014 अनुसार सेवारत अभ्यर्थी के रूप में डिग्री कोर्स हेतु 5 वर्ष की अनिवार्य सेवा का बंधपत्र निष्पादित कराया गया है। अतः डॉ. पंकज कुमार जैन, को सीनियर रेसीडेन्ट पद पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि डॉ. पंकज कुमार जैन, सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर कार्य करने के उपरांत बंधपत्र अनुसार नियमानुसार विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

//
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/ 18

भोपाल, दिनांक 5/01/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. निज-सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त।
4. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर, सागर एवं खण्डवा मध्यप्रदेश।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर म.प्र.।
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।

(T)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश

05 JAN 2018

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्य प्रदेश

क्र.01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/

भोपाल, दिनांक /01/2018

—: आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये संस्थानों में आवेदन/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान की जाती है, कि यदि इनका चयन निम्न पदों पर होता है तो इन्हे विभाग से त्याग-पत्र देना होगा :-

क्र.	चिकित्सक का नाम	पदस्थापना स्थान	अनापत्ति का विवरण
1	डॉ. शाम्बी सिंह, (स्त्रीरोग)	जिला चिकित्सालय राजगढ़	चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में प्रदर्शक के पद हेतु अनापत्ति

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

//
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 5/01/2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/16

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. निज-सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त।
4. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया मध्यप्रदेश।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय राजगढ़ म.प्र.।
8. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
9. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

05 JAN 2018

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /01/2018

क्रमांक / /2833/2017/सत्रह/मेडि-1 :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 02-02/2013/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 03.05.2016 द्वारा नियुक्त दन्त शल्य चिकित्सकों द्वारा नियत तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर समसंख्यक आदेश दिनांक 27.10.2016 द्वारा नियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी किए गए थे, किन्तु इस आदेश के जारी करने के दौरान यह तथ्य ध्यान में नहीं रखा गया था कि इन दन्त शल्य चिकित्सकों को आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा 31 दिसम्बर 2016 तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई है। जिसके संबंध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई। जिसके संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया कि इन चिकित्सकों द्वारा 31 दिसम्बर 2016 के पूर्व कार्यभार ग्रहण किया गया था एवं उसके पश्चात् से कार्य पर अनुपस्थित हैं।

2/ अतः उपर्युक्त वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा नियुक्ति निरस्त करने संबंधी आदेश दिनांक 27.10.2016 में से निम्नलिखित दन्त शल्य चिकित्सकों का नाम विलोपित करते हुए निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 10.1.2018 से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करता है:-

क्र.	मेरिट क्र.	चिकित्सक का नाम	योग्यता	वर्ग	पदस्थापना स्थल
1.	4	डॉ. प्रांजल नागर	एम.डी.एस.	सामा.	सिविल अस्पताल सिरोंज जिला विदिशा
2.	10	डॉ. दिवाश्री शर्मा	एम.डी.एस.	सामा.	सिविल अस्पताल अमरपाटन जिला संतना
3.	12	डॉ. रिचा मिश्रा	एम.डी.एस.	सामा.	जिला चिकित्सालय नरसिंपुर
4.	20	डॉ. सुचिता नायक	बी.डी.एस.	अ.पि.व.	सिविल अस्पताल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इटारसी जिला होशंगाबाद
5.	27	डॉ. नेहा मंसोरिया	बी.डी.एस.	अ.ज.जा.	सिविल अस्पताल बेगमगंज जिला रायसेन
6.	29	डॉ. पारस कुमार रावत	एम.डी.एस.	अ.ज.जा.	जिला चिकित्सालय राजगढ़

1. उक्त सभी दन्त शल्य चिकित्सा अधिकारियों को 10.1.2018 से अपनी नियत पदस्थापना स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है।

2. इस अवधि में उनके द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के आधार पर उन्हें दो अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता नहीं होगी क्योंकि उन्होंने यह शैक्षणिक अर्हता बिना शासन की अनुमति के अनाधिकृत अनुपस्थिति के दौरान प्राप्त की है।

3. उक्त सभी दन्त शल्य चिकित्सा अधिकारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को डायजनों घोषित किया जाता है तथा तदानुरूप परिवीक्षा अवधि में भी वृद्धि की जाती है। इसकी गणना कर आदेश पृथक से जारी किया जाएगा।

4. ज्वाइनिंग के साथ यह भी शर्त रखी जाती है कि आगामी दो वर्ष तक इनकी पदस्थापना में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

//2//

पृ० क्रमांक/०७/2833/2017/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक ०२/०१/२०१८

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर म०प्र०।
 4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 5. सचिव, लोक सेवा आयोग इन्दौर, म०प्र०।
 6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 7. संबंधित संभागीय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला विदिशा/सतना/नरसिंहपुर/होशंगाबाद/रायसेन/राजगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि चिकित्सकों की कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तत्काल विभाग को उपलब्ध करायें।
 9. कोषालय अधिकारी, जिला विदिशा/सतना/नरसिंहपुर/होशंगाबाद/रायसेन/राजगढ़ म.प्र.।
 10. संबंधित डॉ.....म०प्र०।
 11. स्टॉक फाईल ।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

